

फैक्ट सीट

1-परियोजना का नाम- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 114 से सिगदा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

2-प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में) -

आरक्षित वन भूमि	-	2.9015	हे०
मलवा निस्तारण हेतु	-	0.800	हे०
सिविल सोयम	-	0.2100	हे०
योग	-	3.9115	हे०
निजी भूमि	-	3.4245	हे०
निजी भूमि मलवा निस्तारण हेतु	-	0.9000	हे०
योग	-	4.3245	हे०
कुल योग	-	8.2360	हे०

3- प्रस्ताव विभाग का नाम-

पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
लोहाघाट, चम्पावत ।

4- वन प्रभाग का नाम-

वन प्रभाग चम्पावत ।

5- प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है-

6- प्रस्ताव में विषयसूची भरी गई है-

7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग- 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है- हाँ/ नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है-

10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है-

11- बांज प्रजातियों की वृक्षों की प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षण का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है-

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया जा रहा है-

13- समरेखण आने वाले कुछ वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या संलग्न है-

14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है-

15- क्या क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की विस्तृत योजना में स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है-

16- क्या मानचित्र में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है-

17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पडे स्थानों की वृक्षारोपण परियोजना संलग्न है-

18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है-

19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है-

यदि हाँ तो मुख्य वनजीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है -

20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल प्रपत्रों में सही भर गया है-


21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण कराया जाना है- हाँ/ नहीं

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी की गई भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।)

- 22- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा है- हाँ/नहीं
- 23- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है- हाँ/नहीं
- 24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है- हाँ/नहीं
- 25- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। हाँ/नहीं
- 26- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र में दर्शाये गये हैं - हाँ/नहीं
- 27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण-(एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हाँ/नहीं
- 28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है(5 हे0 से अधिक होने के प्रकरणों में लागू होगा)- हाँ/नहीं
- 29- मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है- हाँ/नहीं
- 30- मलबे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है- हाँ/नहीं
अथवा मलबे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं
- 31- राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली भातों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है- हाँ/नहीं
- 32- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटोप्रतियां मूल में संलग्न हैं यदि छायाप्रति संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं- हाँ/नहीं
- 33- यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं
- 34- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है- हाँ/नहीं
- 35- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- हाँ/नहीं
- 36- क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं- हाँ/नहीं


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचना संलग्न कर दी गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट


अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट


वन क्षेत्राधिकारी
काजी कुमार रेन्ज
सम्पादित वन प्रभाव


हस्ताक्षरित/प्रस्तावक
प्रस्तावक विभाग/सिंचाई खण्ड लोहाघाट